

न्यायालय सहायक कलक्टर (फा०ड्रै०/मुख्यालय), चौमूं, जिला जयपुर
पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती कनक जैन (R.A.S.)
मुकदमा नं०:-10/2023

उनवान

सोहनलाल प्रजापत पुत्र सुरजमल जाति कुम्हार, निवासी ग्राम लोहरवाडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

-वादी-

बनाम

1. सुरजमल पुत्र चन्दाराम
2. सोहन पुत्र सुरजमल
3. मोहन पुत्र सुरजमल
4. बल्लूराम पुत्र सुरजमल
5. पप्पू पुत्र चन्दाराम (मृतक दौराने दावा)
 - 5/1. संतरा देवी पत्नी स्व० पप्पू
 - 5/2. कृष्ण प्रजापत पुत्र स्व० पप्पू
 - 5/3. विक्रम प्रजापत पुत्र स्व० पप्पू
क्रम संख्या 5/2 व 5/3 नाबालिक जरिये संरक्षिका माता संतरा देवी पत्नी स्व० पप्पू
समस्त जाति कुम्हार, निवासी ग्राम लोहरवाडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
- 5/4. सपना प्रजापत पत्नी दिनेश प्रजापत पुत्री स्व० पप्पू, जाति कुम्हार, निवासी ग्राम नांगलभरडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
- 5/5. ज्योति प्रजापत पत्नी विकास प्रजापत पुत्री स्व० पप्पू, जाति कुम्हार, निवासी ग्राम नांगलभरडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
- 5/6. पूजा प्रजापत पत्नी ओमप्रकाश प्रजापत पुत्री स्व० पप्पू, जाति कुम्हार, निवासी ग्राम नांगलभरडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
6. बाबूलाल पुत्र चन्दाराम
7. मदन पुत्र ग्यारसीलाल
8. कालू पुत्र ग्यारसीलाल
9. कमलेश पुत्र ग्यारसीलाल
10. तीजा पुत्री चन्दाराम
11. दिनेश कुमार पुत्र लल्लूराम
12. प्रकाशचन्द पुत्र लल्लूराम
13. सन्ती देवी पत्नी लल्लूराम
14. सुमन देवी पुत्री लल्लूराम
15. गीता पुत्री चन्दाराम
16. लाली देवी पत्नी स्व० छीतरमल
17. मामराज पुत्र स्व० छीतरमल
18. पूरणमल पुत्र स्व० छीतरमल
19. मैना पुत्री स्व० छीतरमल
20. हंसा पुत्री स्व० छीतरमल
21. ममता पुत्री स्व० छीतरमल
समस्त जाति कुम्हार, निवासी ग्राम लोहरवाडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
22. केशरमल पुत्र नाथूराम, जाति अहीर, निवासी ग्राम लोहरवाडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
23. कानाराम पुत्र गोपाल
24. छीतर पुत्र दूलाराम
25. छोटी पुत्री दूला
26. ननूराम पुत्र दूलाराम
27. पूरणमल पुत्र रामलाल

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
चौमूं, जयपुर (प्राथमिक)

28. फूली देवी पुत्री दूला (मृतक दौराने दावा)
28/1. रामू पुत्र स्व फूली देवी पत्नी गुरली
28/2. प्रहलाद पुत्र स्व० फूली देवी पत्नी गुरली
28/3. बिदामी देवी पत्नी शिम्भूदयाल पुत्री स्व० फूली देवी पत्नी गुरली
28/4. छुट्टन देवी पत्नी गोवर्धन पुत्री स्व० फूली देवी पत्नी गुरली
29. बरजी पुत्री दूला
30. बंशीधर पुत्र गोपाल
31. भूरी देवी पत्नी रामलाल
32. मंजू देवी पुत्री रामलाल
समस्त जाति कुम्हार, निवासी ग्राम लोहरवाडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
33. मन्नी पुत्री दुला (मृतक दौराने दावा)
33/1. मनफूली देवी पत्नी रामपाल पुत्री स्व० मन्नी जाति कुम्हार, निवासी ग्राम बासडीखुर्द, हरसोली, तहसील किशनगढ रेनवाल, जिला जयपुर।
33/2. सन्ती देवी पत्नी लालाराम पुत्री स्व० मन्नी, जाति कुम्हार, निवासी ग्राम राधाकिशनपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
33/3. मीरा देवी पत्नी मोहन पुत्री स्व० मन्नी, जाति कुम्हार, निवासा भारतीय गैस एजेन्सी के पास, ग्राम राधाकिशनपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
33/4. नन्ही देवी पत्नी कन्हैयालाल पुत्री स्व० मन्नी, जाति कुम्हार, निवासी कुम्हारो की ढाणी, ग्राम भीलपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
33/5. बोदूराम पुत्र स्व० मन्नी
33/6. मदन पुत्र स्व० मन्नी
समस्त जाति कुम्हार निवासी ग्राम भैंसावा, तहसील किशनगढ रेनवाल, जिला जयपुर।
34. महेश पुत्र रामलाल
35. मानाराम पुत्र मुरलीधर
समस्त जाति कुम्हार, निवासी ग्राम लोहरवाडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
36. मालीराम पुत्र दुलाराम (मृतक दौराने दावा)
36/1. हनुमानसहाय पुत्र स्व० मालीराम
36/2. सीताराम पुत्र स्व० मालीराम
36/3. रामलाल पुत्र स्व० मालीराम
36/4. सुरेश पुत्र स्व० मालीराम
36/5. हरसहाय पुत्र स्व० मालीराम
समस्त जाति कुम्हार, निवासी ग्राम लोहरवाडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
36/6. मीरा देवी पुत्री स्व० मालीराम, निवासी कुम्हारों की ढाणी, ग्राम टांकरडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
37. राजू देवी पुत्री रामलाल
38. लाडा देवी पुत्री रामलाल
समस्त जाति कुम्हार, निवासी ग्राम लोहरवाडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
39. लालचन्द पुत्र नाथूराम, जाति अहीर
40. श्रवण पुत्र मुरलीधर
41. सुरज्ञान पुत्र रामलाल
42. सोनाराम पुत्र दुलाराम
43. भगवानसहाय पुत्र स्व० गोकुल
44. महेश पुत्र स्व० गोकुल
45. सजना देवी पुत्री स्व० गोकुल
समस्त जाति कुम्हार, निवासी ग्राम लोहरवाडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
46. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
47. उपपंजीयक, उपपंजीयन कार्यालय चौमूं, जिला जयपुर।
48. द फैंडरल बैंक लिमिटेड जरिये शाखा प्रबन्धक, शाखा चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

(संम)
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक)
चौमूं, जयपुर (ग्राम्भोग)

-प्रतिवादीगण-

वाद बाबत घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा
(अ० धारा 88 व 188 राज० काश्ताकारी अधिनियम 1955)

निर्णय

दिनांक :-05.03.2025

वादी की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि वाके ग्राम लोहरवाडा, पटवार हल्का लोहरवाडा, भू०अ०नि० क्षेत्र उदयपुरिया, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में स्थित खाता संख्या 306 के आराजी खसरा नम्बर 636 रकबा 2.35 है०, आराजी खसरा नम्बर 637 रकबा 0.79 है०, आराजी खसरा नम्बर 638 रकबा 0.61 है०, आराजी खसरा नम्बर 820 रकबा 0.62 है०, आराजी खसरा नम्बर 823 रकबा 1.84 है० कुल किता 5 का कुल रकबा 6.21 है० भूमि स्थित है। उक्त आराजीयात भूमि ही वाद पत्र में विवादग्रस्त आराजीयात है। विवादित आराजीयात पूर्व में वादी के दादा चन्दाराम के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी जिनके स्वर्गवास के उपरान्त उक्त विवादित भूमियां वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज आई तथा वर्तमान में विवादित आराजीयात में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/50 भाग राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त विवादित भूमियां वादी की पैतृक भूमियां रही है जिस कारण वादी का उक्त विवादित भूमियों में खाता संख्या 306 में पिता प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्सा 1/50 में से 1/4 भाग जन्म से ही अविभाजित रूप से निहित रहा है। वादी उक्त विवादित आराजीयात में अपने पैतृक हक हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 जो कि वादी का पिता है तथा शराब का आदि व्यक्ति है जो कि अपनी नशे की लत के कारण अपने हक हिस्से की भूमि को बैचान कर वादी को उसके हक अधिकार की पुश्तैनी भूमि से महरूम करने के आशय से विवादित भूमि को हडप कर जाना चाहता है जिसका प्रतिवादी संख्या 1 का कोई विधिक हक अधिकार हांसिल नहीं है। दिनांक 11.01.2023 को प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा विवादित भूमि जो कि पैतृक अविभक्त भूमि रही हैं, में वादी को उसके हक अधिकार की भूमि से महरूम करने की नियत से विवादित भूमि पर अपने साथ दीगर व्यक्तियों को लेकर आया तथा विवादित भूमि को बैचान, हस्तान्तरण करने के लिए दिखाने लगा जिस पर वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को विवादित भूमि का बैचान, हस्तान्तरण नहीं करने बाबत कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी को ऐलानियां धमकी देकर कहा कि उक्त विवादित भूमियां मेरे नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है तथा तुम्हारा इससे कोई लेना-देना नहीं है एवं शीघ्र ही मैं अन्य दीगर व्यक्तियों से मिलीभगत कर विवादित भूमि को बैचान, हस्तान्तरण कर खुर्द-बुर्द कर दूंगा। मुझे शराब के लिये पैसे चाहिए यह कहते हुए प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादी को धमकी दी गई जिस कारण वादी को उक्त वाद पत्र न्यायालय श्रीमान् के समक्ष पेश करना लाजमी आया है।


म.न.
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक)
चौमूं, जयपुर (राजस्थान)

वादी ने उक्त वाद पत्र पेश कर निम्न अनुतोष चाहा है कि वादी का वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 बाबत घोषणा का डिक्री फरमाया जाकर विवादित आराजीयात में प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से 1/50 भाग में से 1/4 भाग का वादी को खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावें। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा इस कदर पाबन्ध किया जावें कि प्रतिवादी संख्या 1 विवादित आराजीयात का किसी दीगर व्यक्ति, संस्था आदि को बैचान, हस्तान्तरित नहीं करें, ना ही वादी के उपयोग उपभोग में बाधा कारित करें, ना ही कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में लेवें, ना ही निर्माण कार्य करें, ना ही निर्माण सामग्री डाले, ना ही वादी को उसके हक अधिकार का भूमि से जबरिया बेदखल करें, ना ही नींव आदि खोदे तथा प्रतिवादी संख्या 46 उक्त विवादित भूमि के सम्बन्ध में राजस्व रिकॉर्ड में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन, परिवर्धन नहीं करें तथा प्रतिवादी संख्या 47 प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपने सम्मुख उक्त विवादित भूमियों के सम्बन्ध में प्रस्तुत किसी भी लेख पत्र या अन्य हस्तान्तरण पत्र को तस्दीक नहीं करें। उक्त समस्त कृत्य प्रतिवादीगण ना तो स्वयं करें, ना ही अपने किसी एजेन्ट सर्वेन्ट या वर्कमेन के जरिये करवायें अर्थात् विवादग्रस्त भूमियों की वर्तमान मौके व रिकॉर्ड की स्थिति यथावत बनाये रखें।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज किया गया तथा प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 22 व 39, 36/1 ता 36/5 जरिये वकालतन उपस्थित तथा शेष प्रतिवादीगण तामिल के बावजूद अनुपस्थित है अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

वादी ने अपने वाद के समर्थन में गवाह सोहनलाल, जगदीश प्रसाद, गोपीराम आदि का साक्ष्य का शपथ पत्र पेश किया तथा प्रदर्श-1 हाल जामबन्दी, प्रदर्श-2 गत जमाबन्दी भी प्रस्तुत की गई।


प्रकरण में वकील उभयपक्षकारान् की बहस सुनी गई। पत्रावली एवं दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। इसमें वादी के द्वारा अपने वाद में मुख्य अनुतोष विवादित भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 वादी का पिता का हिस्से 1/50 भाग में से 1/4 भाग का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित करवाना चाहता है। प्रदर्श-1 जमाबन्दी से स्पष्ट है कि सुरजमल पुत्र चन्दाराम हिस्सा 1/50 जाति कुम्हार वादी के पिता के नाम भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रदर्श-2 गत जमाबन्दी एवं संवत् 2053 की जमाबन्दी से स्पष्ट है कि विवादित भूमि वादी के पूर्वजों के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने से पुश्तनी भूमि साबित होती है। एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में प्रतिवादी संख्या 1 वादी का पिता के 4 जीवित वारिस है। हिन्दु उत्तराधिकार नियम के तहत प्रतिवादी के 4 प्रथम पंक्ति के वारिस होने से


सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
चामू, जयपुर (ग्रामीण)

विवादित भूमि में सम्पूर्ण हित अधिकार निहित है। जिससे वादी का वाद स्वीकार किया गया।
निर्णय न्यायोचित प्रतित होता है।

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर अन्तिम डिक्री किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि विवादित भूमि वाके ग्राम लोहरवाडा, पटवार हल्का लोहरवाडा, भू०अ०नि० क्षेत्र उदयपुरिया, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में स्थित खाता संख्या 306 के आराजी खसरा नम्बर 636 रकबा 2.35 है०, आराजी खसरा नम्बर 637 रकबा 0.79 है०, आराजी खसरा नम्बर 638 रकबा 0.61 है०, आराजी खसरा नम्बर 820 रकबा 0.62 है०, आराजी खसरा नम्बर 823 रकबा 1.84 है० कुल कित्ता 5 का कुल रकबा 6.21 है० में प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 1/50 में से वादी के 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावें। शेष हिस्सा बदस्तुर रखा जावें। पालना हेतु तहसीलदार चौमूं को लिखा जावें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक 05.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


सहायक कलेक्टर
(फा० ट्रे०/मुख्यालय चौमूं)
सहायक कलेक्टर
चौमूं जयपुर (ग्रामांश)